न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं०	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 56 / 2025	**2025 / 210**	15.04.2025	**30.04.2025**

1– धर्मा देवी पत्नी रतनसिंह पुत्र छाजूराम जाति अहीर निवासी ग्राम थडा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

(अपीलान्ट)

बनाम

1– तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

(रेस्पोंडेन्ट)

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास नामान्तकरण संख्या 2251 वाके ग्राम चामरोदा निर्णय दिनाक 25.03.2025 जिला खैरथल तिजारा (राजस्थान)

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते खैरथल-तिजारा (राज०)

उपस्थित–

01. श्री बलराम यादव – वकील अपीलान्ट

–: निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास के द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 2251 निर्णय दिनांक 25.03.2025 ग्राम चामरोदा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि हाल आराजी खसरा न0 33 रकबा 0.54 है0 का 1 / 2 भाग, 29 रकबा 0.39 है0 का 1 / 3 भाग, 47 रकबा 0.76 है0, 48 रकबा 0.39 है0 किता 2 रकबा 1.15 है0 का 1 / 2 भाग वाके ग्राम चामरोदा तहसील किशनगढबास स्थित है, आराजी मिन अपीलान्ट की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, आराजी को मिन अपीलान्ट द्वारा बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैक शाखा सलारपुर के यहा रहन रख के.सी.सी ऋण लिया जिस ऋण की ऐवज में राजस्थान कृषि प्रचलन (कठिनाईया निराकरण) अधिनियम 1974 की धारा 6(1) के तहत बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैक शाखा सलारपुर के हक में रहन का अंकन हुआ। बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैक शाखा सलारपुर से लिऐ ऋण का नोडयूज प्रमाण–पत्र दिनाक 10.03.2025 को मिन अपीलान्ट को दिया गया। बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैक शाखा सलारपुर द्वारा दिये गये नोडयूज के आधार पर मिन अपीलान्ट द्वारा रहन मुक्त का नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु अपने समस्त दस्तावेज नोडयूज व 6(1) पटवार हल्का चामरोदा तहसील किशनगढबास को दिया गया जिस पर पटवारी हल्का चामरोदा द्वारा रहन मुक्त का नामान्तकरण संख्या 2251 दिनाक 12.03.2025 को दर्ज किया तथा वास्ते स्वीकृति हेतु तहसीलदार किशनगढबास को भेजा जिसे तहसीलदार किशनगढवास द्वारा बेजा रूप से यह लिखते हुऐ कि पटवारी द्वारा बाद पुनः जॉच हेतु निर्देशित जॉच रिपोर्ट अंकित नही करने एवं पुनः जॉच का विकल्प भी समाप्त हो जाने से नामान्तकरण खारिज किया जाता है। तहत अदालत द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व मिन अपीलान्ट को सूनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया गया, न ही नोडयूज पेश करने बाबत कोई सूचना दी गयी बल्कि विधि एंव दस्तावेज के विवरीत नामान्तकरण खारिज करने में अहम गलती की गयी है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 21.03.2025 निरस्त किया जाकर मुताबिक नोडयूज के नामान्तकरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। तहत अदालत द्वारा रहनमुक्त नामान्तकरण संख्या 2251 वाके ग्राम चामरोदा पटवारी हल्का द्वारा दिनाक 12.03.2025 दर्ज कर वास्ते निर्णय हेतु तहत अदालत के समक्ष पेश किया गया है, तहत

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

अदालत द्वारा बेजा रूप से नामान्तकरण को दिनाक 25.03.2025 को खारिज किया गया है, ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित नही है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ तहसीलदार किशनगढबास को प्रतिप्रेषित किया जाता है, प्रकरण में बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैक शाखा सलारपुर द्वारा जारी नोडयूज प्रमाण–पत्र दिनाक 10.03.2025 में वर्णित आराजी की पुनः जॉच कर मुताबिक नोडयूज प्रमाण–पत्र दिनाक 10.03.2025 के अपीलान्टान को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिवत निर्णय पारित करे। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 25.03.2025 नामान्तकरण संख्या 2251 वाके ग्राम चामरोदा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा निरस्त किया जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमवर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
खैरथल तिजारा (राज०)